

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30062026-273960  
SG-DL-E-30062026-273960असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]	दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2026/ आषाढ 9, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 87
No. 169]	DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948	[N. C. T. D. No. 87

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIपरिवहन विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 30 जून, 2026

फा0 सं0 JC/EV/TPT/2026/02/281— जबकि, मंत्रिपरिषद ने 29.06.2026 तारीख के कैबिनेट निर्णय संख्या 3349 के तहत दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2026 को मंजूरी दी थी।

इसलिए, अब मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 67 की उप-धारा (3), धारा 2 के खंड (41) और अन्य संबंधित प्रावधानों तथा उनके तहत बने नियमों से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप-राज्यपाल एतद्वारा दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2026 को 01.07.2026 तारीख से लागू करते हैं।

### दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2026

#### 1. प्रस्तावना

1.1 दिल्ली, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और तदनुसार लक्षित प्रोत्साहनों, अवसंरचना विकास तथा सख्त विनियामक उपायों के माध्यम से स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन को बढ़ावा देने और अपनाने का लक्ष्य रखती है। दिल्ली

इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026-2030 (चार वर्ष) इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अंगीकार करने में तेजी लाने, वायु गुणवत्ता में सुधार करने और इलेक्ट्रिक गतिशीलता के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करने के लिए तैयार की गयी है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

1.2 यह नीति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरणा तथा समर्थन प्राप्त करती है, जो जीवन के अधिकार का प्रावधान करता है और स्वच्छ वायु एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के अधिकार को परिभाषित करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में संबंधित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीतियों की समीक्षा एवं संशोधन करने का निर्देश दिया है। यह नीति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम 1988, विशेष रूप से मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67(3) के विभिन्न प्रावधानों से भी समर्थन प्राप्त करती है; जो राज्य सरकार को मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, अंतिम-छोर तक संपर्क, शहरी परिवहन में सुधार, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आदि सहित विभिन्न कारणों हेतु परिवहन में विकास एवं दक्षता को बढ़ावा देने के लिए माल और यात्रियों के परिवहन के लिए योजना बनाने का अधिकार देती है।

1.3 वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट 'दिल्ली एनसीआर में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक के कारणों की पहचान'<sup>1</sup> को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण के सबसे बड़े योगदानकर्ता (शीतकालीन अवधि के दौरान 23%) के रूप में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की पहचान की है। दिल्ली में कुल वाहनों में से लगभग 67% दोपहिया वाहन हैं, इसलिए वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में सार्थक कमी लाने के लिए उनका तेजी से विद्युतीकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, तीनपहिया वाहन, वाणिज्यिक कारें और एन1 श्रेणी के मालवाहक वाहनों का दैनिक उपयोग और माइलेज अधिक होता है, जिसके परिणामस्वरूप शहरी वायु प्रदूषण में इनका योगदान असमान रूप से अधिक होता है। तदनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता में निरंतर सुधार प्राप्त करने के लिए इन वाहन श्रेणियों के प्राथमिकता-आधारित विद्युतीकरण की आवश्यकता है।

1.4 यह नीति इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन, स्केलेबल चार्जिंग अवसंरचना, विद्युतीकरण के स्पष्ट आदेश और बैटरी रीसाइक्लिंग तथा निपटान जैसी सहायक प्रणालियों के विकास पर बल देती है।

## 2. नीतिगत उद्देश्य

- सभी प्रमुख वाहन की श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की प्रक्रिया को गति देना।
- सम्पूर्ण दिल्ली में एक व्यापक सार्वजनिक और निजी चार्जिंग नेटवर्क की स्थापना में सहयोग करना।
- बैटरी रीसाइक्लिंग, सर्विसिंग और कंपोनेंट रिकवरी सहित एक मजबूत इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति श्रृंखला को सक्षम करना।
- आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों पर निर्भरता कम करके वायु गुणवत्ता में सुधार करना।
- वित्तीय दक्षता और पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

## 3. परिभाषाएँ

3.1 इलेक्ट्रिक वाहन का अर्थ "बैटरी चालित वाहन" होगा, जिसका अभिप्राय सड़कों पर उपयोग के लिए अनुकूलित वाहन से है और जो पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित होता है जिसकी कर्षण ऊर्जा पूरी तरह से वाहन में स्थापित कर्षण बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाती है।<sup>2</sup>

<sup>1</sup>दिल्ली एनसीआर में बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के कारणों की पहचान, फा0 संख्या बी-110021/18/एससी-01/2020/सीएक्यूएम, 19 जनवरी, 2026

**3.2 परिचालन दिशानिर्देश** का अभिप्राय इस नीति के अंतर्गत कार्यान्वयन, पात्रता सत्यापन और संवितरण प्रक्रियाओं के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए अलग-अलग विस्तृत निर्देशों से है।

**3.3 इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (ईवीएसई) का अभिप्राय इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना (ईवीसीआई) में एक ऐसे तत्व से है जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता है।<sup>3</sup>**

**3.4 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) का अभिप्राय एक ऐसे ईवी चार्जिंग स्टेशन से है जहां कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन अपनी बैटरी को रिचार्ज करवा सकता है।<sup>4</sup>**

**3.5 सामुदायिक चार्जिंग स्टेशन का अभिप्राय समूह आवास सोसाइटियों या अन्य आवासीय आवासों में स्थापित अर्ध-सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन से है जहां केवल निवासी या अधिकृत आगंतुक ही अपने ईवी को चार्ज कर सकते हैं।<sup>5</sup>**

**3.6 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन (बीएसएस) का अभिप्राय एक ऐसे स्टेशन से है जहां कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन अपनी डिस्चार्ज बैटरी या आंशिक रूप से चार्ज बैटरी को चार्ज बैटरी से बदलवा सकता है।<sup>6</sup>**

**3.7 संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर किए गए आशोधनों के अनुसार 3.1 से 3.6 तक की परिभाषाएँ अद्यतन की जाएंगी।**

## 4. वित्तीय प्रोत्साहन

### 4.1 खरीद प्रोत्साहन

**4.1.1** इस नीति के अंतर्गत सभी खरीद प्रोत्साहन का वितरण व्यक्तिगत खरीदार /स्वामित्व वाली फर्मों/एजेंसियों/कंपनियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी हैं और वाहन दिल्ली में खरीदा गया हो और पंजीकृत किया गया हो। पात्र लाभार्थियों को परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित तंत्र के माध्यम से सब्सिडी दावों के लिए सीधे आवेदन करना होगा।

-----  
 2केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989

3ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी 2022 के लिए जारी ईवीसीआई दिशानिर्देश, फा0सं0 12/2/2018-ईवी (कंप्यूटर सं0 244347), दिनांक 14 जनवरी, 2022

4ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी 2022 के लिए जारी ईवीसीआई दिशानिर्देश, फा0सं0 12/2/2018-ईवी (कंप्यूटर सं0 244347), दिनांक 14 जनवरी, 2022

5इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024, फा0सं0 12/2/2018-ईवी (कंप्यूटर सं0 241852), 17 सितंबर, 2024

6विद्युत मंत्रालय द्वारा जनवरी 2022 के लिए जारी ईवीसीआई दिशानिर्देश, फा0सं0 12/2/2018-ईवी (कंप्यूटर सं0 244347), 14 जनवरी, 2022

**4.1.2** परिवहन विभाग के अधीन गठित एक मॉडल अनुमोदन समिति, इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन और सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पात्र वाहन श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों के सूचीबद्धकरण के लिए उत्तरदायी होगी। समिति परिचालन दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंडों, तकनीकी विशेषताओं और अन्य शर्तों के आधार पर वाहन मॉडलों की जांच और अनुमोदन करेगी। केवल समिति द्वारा अनुमोदित और सूचीबद्ध मॉडल ही इस नीति के अंतर्गत खरीद प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

4.1.3 खरीद प्रोत्साहन के लिए आवेदन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा। पात्र सब्सिडी राशि का संवितरण डिजिटल पोर्टल पर आवेदन जमा करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर सत्यापन और लागू आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन किया जाएगा।

4.1.4 दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2026 के अंतर्गत खरीद प्रोत्साहन का लाभ उठाने वाला कोई भी वाहन नीति की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में हस्तांतरण या पुनः पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए पात्र नहीं होगा।

## 4.2 दुपहिया वाहन

4.2.1 पात्रता: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की एक्स-शोरूम कीमत 2.25 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4.2.2 प्रोत्साहन संरचना (वर्षवार पंजीकरण): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करेगी:

पंजीकरण का वर्ष	प्रोत्साहन
अधिसूचना की तिथि से पहला वर्ष	10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा, अधिकतम सीमा 30,000 रुपये तक
अधिसूचना की तिथि से दूसरा वर्ष	6,600 रुपये प्रति किलोवाट घंटा, अधिकतम सीमा 20,000 रुपये तक
अधिसूचना की तिथि से तीसरा वर्ष	3,300 रुपये प्रति किलोवाट घंटा, अधिकतम सीमा 10,000 रुपये तक

\*यह प्रोत्साहन प्लग-इन और बैटरी स्वैपिंग दोनों प्रकार के ई-दोपहिया मॉडलों पर लागू होगा।

## 4.3 इलेक्ट्रिक तिपहिया ऑटो-रिक्शा (एल5एम)

4.3.1 प्रोत्साहन संरचना (वर्षवार पंजीकरण): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ई-ऑटो को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करेगी:

पंजीकरण का वर्ष	प्रोत्साहन
अधिसूचना की तिथि से पहला वर्ष	50,000 रुपये
अधिसूचना की तिथि से दूसरा वर्ष	40,000 रुपये
अधिसूचना की तिथि से तीसरा वर्ष	30,000 रुपये

4 किलोवाट घंटे से कम बैटरी क्षमता वाले ई-ऑटो को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन प्लग-इन और बैटरी स्वैपिंग दोनों प्रकार के ई-तिपहिया वाहन मॉडलों पर लागू होगा।

4.3.2 बिन्दु 4.3.1 में उल्लिखित प्रोत्साहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए निर्धारित ऑटो-रिक्शा की कुल सीमा के भीतर पुराने सीएनजी ऑटो-रिक्शा के प्रतिस्थापन या नए इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा की खरीद पर लागू होगा।

## 4.4 इलेक्ट्रिक चार पहिया मालवाहक वाहन (एन1)

4.4.1 प्रोत्साहन संरचना (वर्षवार पंजीकरण): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ई-ट्रकों (एन1) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान करेगी:

पंजीकरण का वर्ष	प्रोत्साहन
अधिसूचना की तिथि से पहला वर्ष	एन1 (>1.75 टन सकल वाहन भार) के लिए 1,00,000 रुपये और 50,000 (1.75 टन सकल वाहन भार तक)

अधिसूचना की तिथि से दूसरा वर्ष	एन1 (>1.75 टन सकल वाहन भार) के लिए 75,000 रुपये और 37,500 (1.75 टन तक सकल वाहन भार तक)
अधिसूचना की तिथि से तीसरा वर्ष	एन1 (>1.75 टन सकल वाहन भार) के लिए 50,000 रुपये और 25,000 (1.75 टन तक सकल वाहन भार तक)

4.5 इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल की खरीद प्रोत्साहन के लिए पात्रता एफएएमई 2, पीएम ई-ड्राइव योजना और भारत सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अन्य योजनाओं/दिशा-निर्देशों, यदि कोई हो, के अनुरूप होगी।

#### 4.6 स्कैपिंग प्रोत्साहन

**4.6.1** इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन: इस नीति के अन्तर्गत नए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 10,000 रुपये का स्कैपिंग प्रोत्साहन दिया जाएगा, बशर्ते खरीद प्राधिकृत स्कैपिंग सुविधा से जमा प्रमाण पत्र (सीओडी) जारी होने के छह (6) महीने के भीतर की गई हो। यह प्रोत्साहन दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV और उससे नीचे के दोपहिया वाहनों की स्कैपिंग पर लागू होगा।

**4.6.2** इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (एल5एम): इस नीति के अन्तर्गत नए इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 25,000 रुपये का स्कैपिंग प्रोत्साहन दिया जाएगा, बशर्ते खरीद प्राधिकृत स्कैपिंग सुविधा से जमा प्रमाण पत्र (सीओडी) जारी होने के छह (6) महीने के भीतर की गई हो। यह प्रोत्साहन दिल्ली में पंजीकृत बीएस- IV और उससे नीचे के तिपहिया वाहन (एल5एम) की स्कैपिंग पर लागू होगा।

**4.6.3** इलेक्ट्रिक कार (गैर-परिवहन): इस नीति के अन्तर्गत नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1,00,000 रुपये का स्कैपिंग प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो एक्स-शोरूम कीमत अर्थात् 30 रुपये लाख से अधिक न हो, के अधीन होगा; बशर्ते खरीद प्राधिकृत स्कैपिंग सुविधा से जमा प्रमाण पत्र (सीओडी) जारी होने के छह (6) महीने के भीतर की गई हो। यह प्रोत्साहन दिल्ली-पंजीकृत बीएस- IV और उससे नीचे की कारों की स्कैपिंग के लिए लागू होगा तथा इस नीति के अन्तर्गत पहले 1,00,000 पात्र आवेदकों तक सीमित होगा।

**4.6.4** इलेक्ट्रिक चार पहिया मालवाहक वाहन (एन1 ट्रक): इस नीति के अन्तर्गत नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50,000 रुपये का स्कैपिंग प्रोत्साहन दिया जाएगा, बशर्ते खरीद प्राधिकृत स्कैपिंग सुविधा से जमा प्रमाण पत्र (सीओडी) जारी होने के छह (6) महीने के भीतर की गई हो। यह प्रोत्साहन दिल्ली में पंजीकृत बीएस- IV और उससे नीचे के चार पहिया मालवाहक वाहनों (एन1 ट्रक) की स्कैपिंग पर लागू होगा।

**4.6.5** दिल्ली में पंजीकृत ग्रामीण सेवा वाहन को स्कैप करने पर 15,000 रुपये का स्कैपिंग प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि यह इस शर्त के अधीन होगा कि यह प्राधिकृत स्कैपिंग सुविधा द्वारा जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) जारी करने की तिथि से छह महीने के भीतर ली-आईओएन बैटरी या किसी अन्य उन्नत/प्रगतिशील बैटरी प्रौद्योगिकी से सुसज्जित एक नया इलेक्ट्रिक ग्रामीण सेवा वाहन (डी+6/डी+7) खरीदा जाए।

**4.6.6** सभी स्कैपिंग प्रोत्साहन का संवितरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी - व्यक्तिगत खरीदारों/स्वामित्व वाली फर्मों/एजेंसियों/कंपनियों को सीधे लाभार्थी हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा और वाहन को दिल्ली में पंजीकृत होना चाहिए। पात्र लाभार्थी परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित तंत्र के माध्यम से सब्सिडी दावों के लिए सीधे आवेदन करेंगे।

**4.6.7** जमा प्रमाण पत्र पर सभी स्कैपिंग प्रोत्साहन केवल स्कैप किए गए वाहन के मालिक पर ही लागू होगा।

4.7 सड़क कर, पंजीकरण शुल्क छूट और प्रवेश निषेध छूट

**4.7.1** नीति अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खरीदी गयी और पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों (खंड 4.7.2 तथा 4.7.3 के अधीन) को वाहन के पूरे जीवनकाल के लिए सड़क कर और वाहन पंजीकरण के समय पंजीकरण शुल्क से 100% छूट प्रदान की जाएगी।

**4.7.2** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खरीदी गयी और पंजीकृत 30 लाख रुपये से कम या उसके बराबर एक्स-शोरूम कीमत वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को 31 मार्च 2030 तक सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से 100% प्रदान की जाएगी।

**4.7.3** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खरीदी गयी और पंजीकृत 30 लाख रुपये से अधिक एक्स-शोरूम मूल्य वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

**4.7.4** एन2 ई-ट्रकों के लिए प्रवेश निषेध से छूट: इस नीति की अधिसूचना की तिथि से तीन (3) महीनों के भीतर एन2 वाहन श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पहले एक हजार (1,000) निजी इलेक्ट्रिक ट्रक (जिनका उपयोग दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विभागों/स्वायत्त निकायों/निगमों/बोर्डों और इसी तरह के संस्थानों में किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है) और जो दिल्ली में खरीदी गयी और पंजीकृत हैं, उन्हें वाहन के पंजीकरण की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रवेश निषेध समय के प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। इस प्रावधान से संबंधित विस्तृत जानकारी परिचालन दिशानिर्देशों में दी जाएगी।

## 5. चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना का विकास

5.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम ई-ड्राइव योजना या भारत सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत प्रस्ताव भेजेगी और सार्वजनिक एवं सामुदायिक चार्जिंग एवं बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना को बढ़ाने के लिए ऊर्जा विभाग को पर्याप्त निधि भी आवंटित करेगी।

5.2 दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना की योजना, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

5.3 डीटीएल विभागों और एजेंसियों में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना के लिए मांग, प्रस्तावित स्थानों तथा लोड आवश्यकताओं को एकत्रित करेगा, और इष्टतम स्थान निर्धारण, ग्रिड तत्परता तथा चरणबद्ध परिनियोजन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम-स्तरीय योजना बनाएगा।

5.4 डीटीएल सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और स्वैपिंग अवसंरचना के परिनियोजन तथा संचालन के लिए तकनीकी मानकों, अनुमोदन प्रक्रियाओं, समय-सीमा, सेवा स्तरीय बेंचमार्क और निगरानी तंत्र का विवरण देने वाली मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को विकसित करेगा, अधिसूचित करेगा और समय-समय पर अद्यतन करेगा।

5.5 डीटीएल, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), राजस्व विभाग के माध्यम से उपायुक्तों (डीसी) और अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वय करके साइट ऑनबोर्डिंग, अनुमोदन, निगरानी तथा रिपोर्टिंग सहित सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना के संपूर्ण प्रबंधन के लिए या तो पीएम ई-ड्राइव रूपरेखा या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार-विशेष प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित, संचालित या एकीकृत करेगा।

5.6 डीटीएल के अतिरिक्त, डीआईएसकॉम, निजी संस्थाओं, रियल एस्टेट डेवलपर्स तथा अन्य पात्र हितधारकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

**5.7** मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें परिवहन, ऊर्जा, योजना, पर्यावरण, वित्त, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल), डिस्कॉम और आवश्यकतानुसार समझे जाने वाले किसी अन्य विभाग/एजेंसी/निकाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

**5.8** टीओआर सहित समिति की संरचना को माननीया मुख्यमंत्री के अनुमोदन से अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

**5.9** सिंगल विंडो क्लीयरेंस: डीटीएल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन का परिणियोजन करने के लिए तेजी से क्लीयरेंस और त्वरित इलेक्ट्रिक वाहन कनेक्शन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए चार्ज प्वाइंट और बैटरी स्वैपिंग ऑपरेटरों के लिए एक सिंगल विंडो सुविधा बनाएगा।

**5.10** निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए), समूह आवास सोसाइटियों, आवासीय समुदायों और निजी संस्थाओं को आवासीय परिसरों तथा अन्य निजी स्थानों के भीतर सामुदायिक/निजी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के परिणियोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि जनता के लिए सुविधाजनक और सुलभ चार्जिंग का समर्थन किया जा सके।

**5.11** लोड प्रबंधन में सहायता करने, चरम मांग को कम करने और ग्रिड की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, डिस्कॉम को ई-बस डिपो में ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) के परिणियोजन का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा, डीईआरसी के माध्यम से डिस्कॉम इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग लागत को कम करने, कुशल चार्जिंग व्यवहार को सक्षम बनाने तथा समग्र ग्रिड दक्षता में सुधार करने के लिए उपयुक्त टाइम-ऑफ-डे (टीओडी) टैरिफ संरचनाओं और विभेदक बिजली मूल्य निर्धारण तंत्रों का भी पता लगा सकते हैं।

**5.12** इलेक्ट्रिक ट्रकों और इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने में सहायता के लिए, उपयुक्त सरकारी स्वामित्व वाले स्थानों पर पर्याप्त चार्जिंग अवसंरचना विकसित की जाएगी। इससे विश्वसनीय चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होगी तथा इलेक्ट्रिक गतिशीलता के परिवर्तन में निजी बेड़े ऑपरेटरों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।

## **6. मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) की भूमिका**

**6.1** मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) नीति अवधि के दौरान सभी पात्र क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

**6.2** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत सभी मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक डीलर के पास कम से कम एक सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हो, जिसमें दोपहिया/तिपहिया वाहनों के लिए कम से कम तीन (3) चार्जिंग पॉइंट और चारपहिया वाहनों के लिए दो (2) चार्जिंग पॉइंट हों। ऐसे चार्जिंग स्टेशनों का स्थान, जहां तक संभव हो, पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवी पीसीएस) के परिणियोजन के लिए परिचालन दिशानिर्देशों की श्रेणी ए, बी तथा सी के अंतर्गत निर्दिष्ट स्थानों और स्थापन श्रेणियों के अनुरूप होना चाहिए।

**6.3** मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) को इलेक्ट्रिक वाहन की लागत को स्थिर करने का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासियों के लिए किफायती हो सके।

## **7. अतिरिक्त पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी विकास उपाय**

### **7.1 बैटरी पुनर्चक्रण**

**7.1.1** पर्यावरण विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) और अन्य बाध्य संस्थाएं बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2022 के सभी लागू प्रावधानों का सख्ती से पालन करें, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, जिसमें विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर), रिपोर्टिंग तथा अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हैं।

**7.1.2** दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) एक उपयुक्त नीतिगत ढांचे के माध्यम से, अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं तथा अन्य पात्र संस्थाओं के सहयोग से, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बैटरी संग्रह केंद्रों के परिनियोजन को सुगम बनाएगी, ताकि अपशिष्ट बैटरियों का सुविधाजनक, सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल संग्रह सुनिश्चित किया जा सके।

**7.1.3** डीपीसीसी, मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और अन्य बाध्य संस्थाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) अधिसूचित करेगी ताकि अपशिष्ट बैटरियों का सुरक्षित संग्रह, भंडारण, परिवहन तथा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों (पीआरओ) को हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके, जो लागू पर्यावरणीय विनियमों, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) आवश्यकताओं और सुरक्षा मानकों के अनुपालन में हों। ओईएम को डीपीसीसी द्वारा निर्धारित प्रारूप तथा आवृत्ति में **ईपीआर लक्ष्य अनुपालन और बैटरी ट्रेसिबिलिटी पर आवधिक रिपोर्ट** दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को प्रस्तुत करना होगा।

**7.1.4** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, बैटरी के नवीनीकरण, सुरक्षित रूप में उसका पुनः उपयोग जीवन उपयोग और पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण का समर्थन करने के लिए बैटरी के अद्वितीय पहचानकर्ताओं के आधार पर **बैटरी ट्रेसिबिलिटी-सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र** को बढ़ावा देगी।

## 8. पंजीकरण के लिए विद्युतीकरण संबंधी अनिवार्यताएँ

**8.1** इलेक्ट्रिक तिपहिया (एल5) तथा एन1 मालवाहक वाहन

**8.1.1** दिनांक 01 जनवरी 2027 से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नए पंजीकरण के लिए केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया (एल5) की अनुमति होगी।

**8.1.2** दिनांक 01 जनवरी 2027 से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक एन1 मालवाहक वाहनों को ही नए पंजीकरण की अनुमति होगी।

**8.2** इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन

**8.2.1** दिनांक 01 अप्रैल 2028 से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के नए पंजीकरण की अनुमति होगी।

## 8.3 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन

**8.3.1** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार भविष्य में चार पहिया वाहनों के लिए विद्युतीकरण आदेश लाने का प्रयोजन रखती है और साथ ही अकुशल ईंधन का उपयोग करने वाले प्रदूषणकारी वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए एक ढांचा बनाने का लक्ष्य रखती है।

## 8.4 स्कूल बस

**8.4.1** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी स्कूलों को नीचे दी गई तालिका में यथा उल्लिखित विद्युतीकरण लक्ष्यों का पालन करना होगा:

प्रभावी तिथि	बेड़े में न्यूनतम इलेक्ट्रिक हिस्सेदारी
अधिसूचना की तिथि से दूसरे वर्ष की समाप्ति तक	10%
अधिसूचना की तिथि से तीसरे वर्ष की समाप्ति तक	20%
31 मार्च 2030 तक	30%

**8.4.2** यह आदेश स्कूल बसों के पूरे बेड़े पर लागू होगा, चाहे वे स्वयं की हों, पट्टे पर ली गई हों या किराए पर ली गई हों। शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

**8.4.3** परिवहन विभाग/डीटीसी के साथ आपसी सहमति से तय की गई शर्तों के अनुसार, डीटीसी/क्लस्टर ई-बसों के रियायतधारकों को डिपो में स्कूल बसों को चार्ज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, इस संबंध में पर्याप्त चार्जिंग अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना और अन्य स्रोतों से निधि जुटाई जाएगी।

## **8.5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत फ्लीट एग्रीगेटर**

**8.5.1** फ्लीट एग्रीगेटर्स तथा डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के लिए विद्युतीकरण संबंधी अनिवार्यताएं निम्नलिखित हैं:- दिनांक 01.01.2026 से मौजूदा 4-पहिया एलसीवी, 4-पहिया एलजीवी (एन1 श्रेणी से 3.5 टन तक) और 2-पहिया वाहनों के बेड़े में पूरी तरह से डीजल या पेट्रोल पर चलने वाले किसी भी पारंपरिक आईसीई वाहन को शामिल नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि बीएस-VI उत्सर्जन मानक वाले 2-पहिया वाहनों को दिनांक 31.12.2026 तक मौजूदा बेड़े में शामिल करने की अनुमति होगी।

**8.5.2** मौजूदा के अन्य सभी प्रावधान दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवाप्रदाता योजना (2023) अपरिवर्तित रहेगी और लागू रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वच्छ परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने तथा वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए एग्रीगेटरों और डिलीवरी सेवाप्रदाताओं को अपने बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

## **8.6 सरकारी बेड़ा**

**8.6.1** इस नीति की अधिसूचना की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सभी किराए पर लिए गए/पट्टे पर लिए गए नॉन-ट्रान्सपोर्ट और हल्की पैसेंजर गाड़ियाँ, जहाँ तक संभव हो, इलेक्ट्रिक होंगी।

**8.6.2** इस नीति की अधिसूचना की तिथि से दिल्ली परिवहन निगम और परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा स्वयं के लिए राज्य के भीतर चलने वाली नई सभी बसों को शामिल करेगी जो कि इलेक्ट्रिक होंगी।

**8.6.3** इस नीति की अधिसूचना की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत विभागों/स्वायत्त निकायों/निगमों/बोर्डों और इसी प्रकार की संस्थाओं, जिनमें दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड शामिल हैं, द्वारा खरीदे/पट्टे पर लिए/किराए पर लिए गए सभी एन1/एन2/एन3 ट्रक तथा एम2/एम3 यात्री वाहन केवल इलेक्ट्रिक होंगे।

**8.7** यदि इस नीति की अवधि के दौरान हाइड्रोजन ईंधन जैसे स्वच्छ ईंधन वाले वाहन पेश किए जाते हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निर्णय के अनुसार शामिल करने/पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है।

## **9. डिजिटल एकीकरण:**

**9.1** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदन, अनुमोदन, सत्यापन, संवितरण, रिपोर्टिंग और शिकायत निवारण सहित सभी कार्यान्वयन ढांचे पूरी तरह से कागज रहित तरीके से डिजिटल सिस्टम के माध्यम से संचालित किए जाएं।

## **10. संस्थागत ढांचा**

**प्रमुख विभाग और उनके उत्तरदायित्व:**

### **10.1 परिवहन विभाग**

10.1.1 परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के कार्यान्वयन, और समय-समय पर सभी स्पष्टीकरण, मामूली संशोधन और परिचालन दिशानिर्देश जारी करने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

10.1.2 इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के स्पष्टीकरण, कार्यान्वयन और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के विशेष/अपर/संयुक्त आयुक्त (ईवी) के अधीन एक ईवी सेल का गठन किया जाएगा, जिसमें एक समर्पित नियुक्त पीएमसी होगी।

## 10.2 दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) ऊर्जा विभाग के माध्यम से

10.2.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की योजना, परिनियोजन और निगरानी के लिए ऊर्जा विभाग के माध्यम से डीटीएल उत्तरदायी होगा। डीटीएल यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक चार्जिंग तथा स्वैपिंग अवसंरचना चालू रहे और ऐसी अवसंरचना के प्रदर्शन, संचालन समय तथा विश्वसनीयता के लिए सेवा स्तर के मानदंड विकसित और अधिसूचित करेगा।

10.2.2 डीटीएल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ईवी चार्जिंग की मांग से उत्पन्न वर्तमान और भविष्य की बिजली लोड आवश्यकताओं का आकलन भी करेगा और डिस्कॉम के साथ समन्वित योजना और कार्यान्वयन के माध्यम से समय पर बिजली खरीद और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

## 10.3 पर्यावरण विभाग

10.3.1 पर्यावरण विभाग, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के अन्तर्गत नए इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त उत्सर्जन कटौती का आकलन करेगा तथा समय-समय पर उसका मात्रात्मक मूल्यांकन करेगा। विभाग वायु प्रदूषक उत्सर्जन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एक पारदर्शी पद्धति विकसित करेगा और उसे लागू करेगा, जिससे दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के पर्यावरणीय परिणामों और समग्र प्रभावशीलता का साक्ष्य-आधारित आकलन संभव हो सकेगा।

10.3.2 पर्यावरण विभाग, यह सुनिश्चित करेगा कि मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) और अन्य बाध्य संस्थाएं समय-समय पर यथा संशोधित बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2022 के सभी लागू प्रावधानों का सख्ती से पालन करें, जिसमें विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर), रिपोर्टिंग और अपशिष्ट बैटरियों के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हैं।

## 10.4 दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डीपीसीसी)

10.4.1 डीपीसीसी एक उपयुक्त नीतिगत ढांचे के माध्यम से, अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं और अन्य पात्र संस्थाओं के सहयोग से, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बैटरी संग्रह केंद्रों के परिनियोजन को सुगम बनाएगी, ताकि अपशिष्ट बैटरियों का सुविधाजनक, सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल संग्रह सुनिश्चित किया जा सके।

10.4.2 डीपीसीसी, मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और अन्य बाध्य संस्थाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को अधिसूचित करेगा ताकि लागू पर्यावरणीय नियमों, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) आवश्यकताओं और सुरक्षा मानकों के अनुपालन में अपशिष्ट बैटरियों का सुरक्षित संग्रह, भंडारण, परिवहन और अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों (पीआरओ) को हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके।

## 10.5 शहरी स्थानीय निकाय (दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली छावनी बोर्ड, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), पीडब्ल्यूडी, डीयूएसआईबी, राजस्व विभाग और अन्य भू-स्वामित्व वाली एजेंसियां)

10.5.1 शहरी स्थानीय निकाय और अन्य भूमि-स्वामित्व वाली एजेंसियां समय-समय पर सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग अवसंरचना के परिनियोजन के लिए उपयुक्त भूमि पार्सल की पहचान करेंगी और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डी.टी.एल.) को ऐसी अवसंरचना की योजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगी।

**10.5.2** दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विभागों/स्वायत्त निकायों /निगमों/बोर्डों और इसी प्रकार के संस्थानों की सभी नई नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं को पर्याप्त विद्युत क्षमता के साथ **ईवी-चार्जिंग-तैयार रखना** आवश्यक होगा ताकि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना की जा सके।

## 10.6 शिक्षा विभाग

**10.6.1** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग, स्कूलों के स्वामित्व वाली, पट्टे पर ली गई या किराए पर ली गई बसों सहित संपूर्ण स्कूल बस बेड़े में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। विभाग आवश्यक निर्देश जारी करेगा, अनुपालन आवश्यकताओं को स्कूल मान्यता और संबद्धता प्रक्रियाओं में एकीकृत करेगा और परिवहन विभाग के समन्वय से इस आदेश के पालन की निगरानी करेगा।

**10.6.2** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग, स्कूलों में नियमित जागरूकता अभियान और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करेगा ताकि छात्रों, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन को वायु प्रदूषण, इसके स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभावों तथा दिल्ली में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे उपायों से अवगत कराया जा सके। विभाग छात्रों द्वारा शुरू की गई पहलों और व्यावहारिक कार्यों को भी बढ़ावा देगा ताकि सतत यात्रा विकल्पों, ऊर्जा संरक्षण और जिम्मेदार पर्यावरणीय व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा सके और दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार को बढ़ावा दिया जा सके।

## 10.7 राजस्व विभाग के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट – भूमि एकत्रीकरण

**10.7.1** जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), राजस्व विभाग के माध्यम से, प्राथमिकता वाली सार्वजनिक अवसंरचना आवश्यकताओं, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और स्वैपिंग अवसंरचना और संबद्ध सुविधाएं शामिल हैं, के लिए उपयुक्त भूमि पार्सल की पहचान, एकत्रीकरण और उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

## 11. इलेक्ट्रिक वाहन नीति

**11.1** परिवहन विभाग के अंतर्गत एक समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन निधि अनुरक्षित रखेगा।

**11.2** इस निधि के स्रोतों में राज्य के बजटीय आवंटन, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और अनुदान, वायु परिवेश निधि, पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क (ईसीसी), पीएम ई-ड्राइव योजना, उपकर, कर और कोई अन्य अनुमोदित स्रोत शामिल हो सकते हैं।

**11.3** इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 से संबंधित धारा 5.1 के अधीन सभी परिचालन और कार्यान्वयन व्यय इलेक्ट्रिक वाहन निधि से पूरे किए जाएंगे।

**11.4** इलेक्ट्रिक वाहन निधि के अंतर्गत व्यय नवीनतम लागू वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमों के अनुसार होगा।

## 12. दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन शीर्ष समिति

**12.1** परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के कार्यान्वयन तथा सभी स्पष्टीकरण, मामूली संशोधन और परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी करने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा।

**12.2** समिति की संरचना और कार्यसूची को माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

**12.3** यदि नीति अवधि के संचालन के दौरान दिल्ली में वाहनों के लिए कोई स्वच्छ ईंधन या प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी, तो दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन शीर्ष समिति द्वारा निर्णय हेतु मंत्रिपरिषद को इस संबंध में उचित सिफारिश या सुझाव दिया जाएगा।

## 13. नीति की वैधता

**13.1** यह नीति अधिसूचना की तिथि से 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी, जब तक कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इसे विस्तारित या संशोधित नहीं किया जाता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

निहारिका राय, सचिव-सह-आयुक्त

**TRANSPORT DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 30th June, 2026

**F. No. JC/EV/TPT/2026/02/281**— Whereas, the Council of Ministers approved the Delhi Electric Vehicles Policy 2026 vide Cabinet Decision No.3349 dated 29.06.2026.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 67, read with clause (41) of section 2 and other enabling provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules made thereunder, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby notifies the Delhi Electric Vehicles Policy, 2026 with effect from 01.07.2026.

**DELHI ELECTRIC VEHICLES POLICY, 2026****1. Introduction**

1.1 Delhi is committed to curb air pollution and accordingly aims to promote and adopt clean mobility transition through targeted incentives, infrastructure development, and strong regulatory measures. The Delhi Electric Vehicle Policy 2026–2030 (four years) builds on this momentum to accelerate electric vehicle (EV) adoption, improve air quality, and create a supportive ecosystem for electric mobility. The policy will be applicable from the date of the notification.

1.2 The policy draws its inspiration and support from Article 21 of the Constitution of India providing for right to life which construes right to clean air and pollution free environment. Hon'ble Supreme Court in M.C. Mehta Vs. Union of India and Ors has asked to review and revise respective electric vehicle (EV) policies. The policy also draws support from various provisions of the Environment Protection Act 1986, Motor Vehicle (MV) Act 1988, especially Section 67(3) of MV Act 1988, which empowers the State Government notwithstanding anything contain in MV Act 1988, to make schemes for the transportation of goods and passengers for the promotion of development and efficiency in transportation for various causes including last-mile connectivity, improving urban transport, the protection and enhancement of the environment, promotion of energy conservation, improvement of the quality of life etc.

1.3 The Commission for Air Quality Management (CAQM), in its latest report 'Identification of the causes for worsening AQI in Delhi NCR'<sup>1</sup> submitted to Hon'ble Supreme Court, has identified vehicular emissions as the largest contributor (23% during winter) to air pollution in the National Capital Territory of Delhi. Two-wheelers constitute approximately **67% of the total vehicle stock in Delhi**, making their rapid electrification critical for achieving meaningful reductions in vehicular emissions. Further, three-wheelers, commercial cars, and N1 category goods vehicles exhibit high daily utilisation and mileage, resulting in a disproportionate contribution to urban air pollution. Accordingly, prioritised electrification of these vehicle segments is essential to achieve sustained improvements in air quality in Delhi.

1.4 This policy emphasises EV incentives, scalable charging infrastructure, clear electrification mandates, and development of supporting systems such as battery recycling and disposal.

**2. Policy Objectives**

- Accelerate adoption of EVs across all major vehicle segments
- Support installation of a comprehensive public and private charging network across Delhi
- Enable a robust EV supply chain including battery recycling, servicing, and component recovery
- Improve air quality by reducing reliance on Internal Combustion Engine (ICE) vehicles
- Ensure fiscal efficiency and transparent implementation

**3. Definitions**

3.1 **Electric Vehicle shall** mean "Battery Operated Vehicle" means a vehicle adapted for use upon roads and powered exclusively by an electric motor whose traction energy is supplied exclusively by traction battery installed in the vehicle.<sup>2</sup>

3.2 **Operational Guidelines** shall mean separate detailed instructions issued by GNCTD from time to time for implementation, eligibility verification, and disbursal procedures under this Policy.

---

<sup>1</sup>Identification of the causes for worsening AQI in Delhi NCR, F.No. B-110021/18/Sc-01/2020/CAQM, 19" January,2026

<sup>2</sup> The Central Motor Vehicles Rules 1989

3.3 Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) shall mean an element in Electric Vehicle Charging Infrastructure (EVCI) that supplies electrical energy for recharging the battery of electric vehicles.<sup>3</sup>

3.4 Public Charging Station (PCS) shall mean an EV charging station where any electric vehicle can get its battery recharged.<sup>4</sup>

3.5 Community Charging Station means semi-public charging station installed at Group Housing Societies or other residential accommodations where only residents or authorized visitors can get their EV charged.<sup>5</sup>

3.6 Battery Swapping Station (BSS) shall mean a station where any electric vehicle can get its discharged battery or partially charged battery replaced by a charged battery.<sup>6</sup>

3.7 Definitions 3.1 to 3.6 shall stand updated as per modifications made by the concerned authorities from time to time.

#### 4. Financial Incentives

##### 4.1 Purchase Incentive

**4.1.1** All purchase incentive under this policy shall be disbursed through direct benefit transfer to individual buyer/ proprietary firms/ agencies/ companies being residents of NCT of Delhi and the vehicle being purchased and registered in Delhi. Eligible beneficiaries shall apply directly for subsidy claims through a mechanism notified by the Transport Department, GNCTD.

4.1.2 A Model Approval Committee constituted under the Transport Department shall be responsible for empanelment of EV models across eligible vehicle segments for availing incentives and subsidies under the Policy. The Committee shall examine and approve vehicle models based on the eligibility criteria, technical specifications, and other conditions prescribed under the operational guidelines. Only models approved and empanelled by the Committee shall be eligible for purchase incentives under the Policy.

4.1.3 The application for purchase incentive shall be submitted within 30 days from the date of generation of the Registration Certificate (RC). The eligible subsidy amount shall be disbursed within 60 days from the date of submission of the application on the digital portal, subject to verification and fulfilment of applicable requirements.

4.1.4 Any vehicle availing purchase incentive under the Delhi EV Policy, 2026 shall not be eligible for issuance of a No Objection Certificate (NoC) for transfer or re-registration in another State/UT for a period of three years from the date of notification of the policy.

##### 4.2 Two-Wheelers

**4.2.1** Eligibility: The ex-showroom price of the electric two-wheeler shall not exceed INR 2.25 lakh.

**4.2.2 Incentive Structure (Year-wise Registration):** GNCTD shall provide the following incentive to promote electric two-wheeler adoption in the NCT of Delhi:

Year of Registration	Incentive
Year 1 from date of notification	₹10,000 per kWh, up to a maximum of ₹30,000
Year 2 from date of notification	₹6,600 per kWh, up to a maximum of ₹20,000
Year 3 from date of notification	₹3,300 per kWh, up to a maximum of ₹10,000

\*Incentive shall be applicable to both plug-in and battery swapping e-two-wheelers models.

##### 4.3 Electric Three-Wheeler Auto-Rickshaw (L5M)

**4.3.1 Incentive Structure (Year-wise Registration):** GNCTD shall provide the following incentive to promote e-auto adoption in NCT of Delhi:

Year of Registration	Incentive
Year 1 from date of notification	₹50,000
Year 2 from date of notification	₹40,000
Year 3 from date of notification	₹30,000

<sup>3</sup>EVCI Guidelines January 2022 by Ministry of Power, No.12/2/2018-EV (Comp No. 244347), 14<sup>th</sup> January, 2022

<sup>4</sup>EVCI Guidelines January 2022 by Ministry of Power, No.12/2/2018-EV (Comp No. 244347), 14<sup>th</sup> January, 2022

<sup>5</sup> Guidelines for Installation and Operation of Electric Vehicle Charging Infrastructure-2024, No. 12/2/2018-EV (Comp No. 241852), 17<sup>th</sup> September, 2024

<sup>6</sup>EVCI Guidelines January 2022 by Ministry of Power, No.12/2/2018-EV (Comp No. 244347), 14<sup>th</sup> January, 2022

**\*No incentive shall be given to e-autos with battery capacity less than 4kWh. Incentive shall be applicable to both plug-in and battery swapping e-three-wheelers models.**

**4.3.2** The incentive mentioned at 4.3.1 shall be applicable for the replacement of old CNG auto-rickshaws or purchase of new electric-auto-rickshaws within the overall limit of auto-rickshaw fixed for NCT of Delhi.

4.4 Electric Four-Wheeler Goods Vehicles (N1)

**4.4.1 Incentive Structure (Year-wise Registration):GNCTD shall provide the following incentive to promote e-trucks (N1) adoption in NCT of Delhi:**

Year of Registration	Incentive
Year 1 from date of notification	₹1,00,000 for N1 >1.75-ton GVW and 50,000 upto 1.75 tons GVW
Year 2 from date of notification	₹75,000 for N1 >1.75-ton GVW and 37,500 upto 1.75 tons GVW
Year 3 from date of notification	₹50,000 for N1 >1.75-ton GVW and 25,000 upto 1.75 tons GVW

4.5 The eligibility of EV models for purchase incentives shall be aligned to FAME 2, PM E-DRIVE scheme, and other schemes/guidelines of Government of India or GNCTD, if any.

#### 4.6 Scrapping Incentives

**4.6.1 Electric Two-Wheeler:** A scrapping incentive of ₹10,000 shall be provided upon purchase of a new electric vehicle under this policy, provided the purchase is made within six (6) months of issuance of the Certificate of Deposit (CoD) from an authorised scrapping facility. This incentive shall be applicable for scrapping of Delhi registered BS-IV and below, two-wheelers.

**4.6.2 Electric Three-Wheeler (L5M):** A scrapping incentive of ₹25,000 shall be provided upon purchase of a new electric vehicle under this policy, provided the purchase is made within six (6) months of issuance of the Certificate of Deposit (CoD) from an authorised scrapping facility. This incentive shall be applicable for scrapping of Delhi registered BS-IV and below, three-wheelers (L5M).

**4.6.3 Electric Car (Non-Transport):** A scrapping incentive of ₹1,00,000 shall be provided upon purchase of a new electric car under this policy, subject to an **ex-showroom price not exceeding ₹30 lakh**, provided the purchase is made within **six (6) months** of issuance of the Certificate of Deposit (CoD) from an authorised scrapping facility. This incentive shall be applicable for the scrapping of **Delhi-registered BS-IV and below cars** and shall be **limited to the first 1,00,000 eligible applicants** under this policy.

**4.6.4 Electric Four-Wheeler Goods Carriers (N1 Trucks):** A scrapping incentive of ₹50,000 shall be provided upon purchase of a new electric vehicle under this policy, provided the purchase is made within six (6) months of issuance of the Certificate of Deposit (CoD) from an authorised scrapping facility. This incentive shall be applicable for scrapping of Delhi registered BS-IV and below, four-wheeler Goods Carriers (N1 Trucks).

4.6.5 A scrapping incentive of ₹15,000 shall be provided upon scrapping of a Gramin Sewa vehicle registered in Delhi, subject to the condition that a new electric Gramin Sewa vehicle (D+6/D+7) equipped with a Li-ion battery or any other advanced/progressive battery technology is purchased within six months from the date of issuance of the Certificate of Deposit (CoD) by an authorised scrapping facility.

**4.6.6 All scrapping incentive shall be disbursed through direct benefit transfer to individual** buyer/ proprietary firms/ agencies/ companies being residents of NCT of Delhi and the vehicle being registered in Delhi. Eligible beneficiaries shall apply directly for subsidy claims through a mechanism notified by the Transport Department, GNCTD.

4.6.7 All scrapping incentive on CoD shall be applicable only to the owner of the scrapped vehicle.

#### 4.7 Road Tax, Registration Fee Exemption and No Entry Exemption

4.7.1 All electric vehicles (subject to clause 4.7.2, and 4.7.3) purchased and registered in the NCT of Delhi during the policy period shall be granted 100% exemption from road tax throughout the life of the vehicle and registration fees at the time of vehicle registration.

4.7.2 All electric cars with ex-showroom price below or equal to 30 lakhs purchased and registered in the NCT of Delhi shall be granted 100% exemption from road tax and registration fees till 31 March 2030.

4.7.3 All electric cars with ex-showroom price above 30 lakhs purchased and registered in the NCT of Delhi shall not be granted any exemption from road tax and registration fees.

4.7.4 No Entry Exemption for N2 E-Trucks: The first one thousand (1,000) private electric trucks falling under the N2 vehicle category (not being used for any purpose in departments/autonomous bodies/corporations/boards and similar institutions under GNCTD including Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Council and Delhi Cantonment Board) and purchased and registered in Delhi within three (3) months from the date of notification of this Policy shall be exempted from the prohibition of no-entry timing for 10 years from the date of registration of the vehicle. The details regarding this provision shall be given in the operational guidelines.

## **5. Charging and Battery Swapping Infrastructure Development**

5.1 GNCTD shall send proposal under PM E-Drive scheme of the Ministry of Heavy Industry, Government of India or any other schemes of Government of India for availing support for charging and battery swapping infrastructure and will also allocate sufficient funds to Power Department to augment the public & community charging and battery swapping infrastructure.

5.2 Delhi Transco Limited (DTL) shall act as the nodal agency for planning, coordination, and implementation of public electric vehicle charging and battery swapping infrastructure in the NCT of Delhi.

5.3 DTL shall aggregate demand, proposed locations, and load requirements for public EV charging and battery swapping infrastructure across departments and agencies, and shall undertake system-level planning to ensure optimal siting, grid readiness, and phased deployment.

5.4 DTL shall develop, notify, and periodically update Standard Operating Procedures (SoPs) detailing technical standards, approval processes, timelines, service level benchmarks, and monitoring mechanisms for the deployment and operation of public EV charging and swapping infrastructure.

5.5 DTL shall develop, operate, or integrate a dedicated digital portal—either under the PM E-DRIVE framework or a GNCTD-specific platform—for end-to-end management of public EV charging and battery swapping infrastructure, including site onboarding, approvals, monitoring, and reporting, in coordination with District Magistrates (DMs), Deputy Commissioners (DCs) through revenue department, and other concerned agencies.

5.6 In addition to DTL; DISCOMs, private entities, real estate developers, and other eligible stakeholders shall be encouraged to establish public EV charging stations across the NCT of Delhi.

5.7A High-Powered Committee shall be constituted under the Chairpersonship of the Chief Secretary, GNCTD, comprising representatives from the Departments of Transport, Power, Planning, Environment, Finance, Delhi Transco Limited (DTL), DISCOMs, and any other department/agency/body as deemed necessary.

5.8 The composition of the Committee along with ToR shall be notified separately with approval of the Hon'ble Chief Minister.

5.9 Single Window Clearance: DTL shall create a single window facility for charge point and battery swapping operators to enable faster clearance and procuring expedited EV connection to deploy public and semi-public charging stations in NCT of Delhi.

5.10 Resident Welfare Associations (RWAs), Group Housing Societies, residential communities and private entities shall be encouraged to facilitate the deployment of community/private EV charging infrastructure within residential premises and other private spaces to support convenient and accessible charging for public.

5.11 DISCOMs shall be encouraged to explore the deployment of Energy Storage Systems (ESS) at e-bus depots to support load management, reduce peak demand, and enhance grid reliability. Further, DISCOMs through DERC may also explore suitable Time-of-Day (ToD) tariff structures and differential electricity pricing mechanisms to reduce EV charging costs, enable efficient charging behaviour, and improve overall grid efficiency.

5.12 To support the adoption of electric trucks and electric buses, adequate charging infrastructure shall be developed at suitable government-owned locations. This will enable reliable charging access and encourage greater participation of private fleet operators in the transition to electric mobility.

## **6. Role of OEMs**

6.1 Original Equipment Manufacturers (OEMs) shall ensure adequate and timely supply of electric vehicles across all eligible segments during the policy period.

6.2 All OEMs operating in the National Capital Territory of Delhi shall ensure the deployment of at least one public electric vehicle charging station per dealer comprising a minimum of three (3) charging points for two-/three-wheelers and two (2) charging points for four-wheelers. The location of such charging stations shall, to the extent feasible, be aligned with the siting categories and locations specified under Category A, B, and C of the *OPERATIONAL GUIDELINES FOR DEPLOYMENT OF EV PUBLIC CHARGING STATIONS (EV PCS) UNDER THE PM E-DRIVE SCHEME*.

6.3 The OEMs shall aim to stabilise the cost of EVs to make it affordable for the residents of NCT of Delhi.

## 7. Additional Ecosystem Development Measures

### 7.1 Battery Recycling

**7.1.1** The Environment Department shall ensure strict adherence by Original Equipment Manufacturers (OEMs) and other obligated entities to all applicable provisions of the *BATTERY WASTE MANAGEMENT RULES, 2022*, as amended from time to time, including requirements related to Extended Producer Responsibility (EPR), reporting, and environmentally sound management of waste batteries.

**7.1.2** The Delhi Pollution Control Committee (DPCC) shall, through an appropriate policy framework, facilitate the deployment of battery collection centres across the National Capital Territory of Delhi under a Public-Private Partnership (PPP) model, in collaboration with authorised recyclers and other eligible entities, to enable convenient, accessible, and environmentally sound collection of waste batteries.

**7.1.3** DPCC shall notify Standard Operating Procedures (SOPs) for Original Equipment Manufacturers (OEMs) and other obligated entities to ensure the safe collection, storage, transportation, and transfer of waste batteries to authorised recyclers or Producer Responsibility Organisations (PROs), in compliance with applicable environmental regulations, Extended Producer Responsibility (EPR) requirements, and safety standards. OEMs shall submit **periodic reports on EPR target compliance and battery traceability** to the Delhi Pollution Control Committee (DPCC), in the prescribed format and frequency by DPCC.

7.1.4 The Government of NCT of Delhi shall promote a **battery traceability-enabled ecosystem**, based on unique battery identifiers, to support battery refurbishment, safe second-life use, and environmentally sound recycling.

## 8. Electrification Mandates for Registration

### 8.1 Electric Three-Wheelers (L5) and N1 Goods Carrier

**8.1.1** From 01 January 2027, only electric three-wheelers (L5) shall be permitted for new registration in the NCT of Delhi.

8.1.2 From 01 January 2027, only electric N1 goods carriers shall be permitted for new registration in the NCT of Delhi

### 8.2 Electric Two-Wheelers

**8.2.1** From 01 April 2028, only electric two-wheelers shall be permitted for new registration in the NCT of Delhi.

### 8.3 Electric Four-Wheelers

8.3.1 The GNCTD intends to bring out electrification mandates for four-wheelers in future as well as aim to make a framework for disincentivising polluting vehicles that use inefficient fuels.

### 8.4 School Buses

8.4.1 All schools in NCT of Delhi shall adhere to the electrification targets as stated in the table below:

Effective Date	Minimum Electric Share of Fleet
Till completion of year 2 from the date of notification	10%
Till completion of year 3 from the date of notification	20%
Till 31 <sup>st</sup> March 2030	30%

**8.4.2** The mandate shall apply to the total school bus fleet, whether owned, leased or hired. The Education Department, GNCTD, shall ensure adherence to the abovementioned mandate.

8.4.3 Effort will be made to encourage concessionaires of DTC/Cluster e-buses to provide facility in depots for charging of school buses as per mutually agreed terms and conditions decided with Transport Department/DTC. Further, funds shall be sought under PM E-DRIVE scheme and other sources for providing adequate charging infrastructure in this regard.

### 8.5 Fleet Aggregators operating in NCT of Delhi

**8.5.1** Electrification mandates for fleet aggregators and delivery service providers are as follows:- No conventional ICE vehicles running purely on diesel or petrol shall be inducted in the existing fleet of 4-Wheeler LCVs, 4-Wheeler LGVs (N1 category up to 3.5 Ton) and 2-Wheelers with effect from 01.01.2026 provided Induction of BS-VI emission standard 2-Wheelers shall be permitted in the existing fleet up to 31.12.2026.

**8.5.2** All other provisions of the existing Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme (2023) shall remain unchanged and shall apply. Aggregators and Delivery Service Providers shall be encouraged for transition of their fleets to electric vehicles in order to support the adoption of clean mobility solutions and reduce vehicular emissions in the NCT of Delhi.

## **8.6 Government Fleet**

8.6.1 All hired/leased, non-transport and light passenger vehicles in GNCTD from the date of notification of this policy shall, to the extent possible, be electric.

**8.6.2** All **new intra-state buses to be inducted** by the Delhi Transport Corporation and the Transport Department, GNCTD on its own, from the date of notification of this policy, shall be **electric**.

8.6.3 All N1/N2/N3 trucks and M2/M3 passenger vehicles purchased/leased/hired by departments/autonomous bodies/corporations/boards and similar institutions under GNCTD including Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Council and Delhi Cantonment Board, from the date of notification of this policy, shall be only electric.

8.7 If cleaner fuel vehicles are introduced during the period of this policy, such as hydrogen fuel, the same may be inducted/allowed to be registered, as per the decision of GNCTD.

## **9. Digital Integration:**

9.1 GNCTD shall ensure that all implementation frameworks, including applications, approvals, verifications, disbursements, reporting, and grievance redressal are conducted in a fully paperless manner through digital systems.

## **10. Institutional Framework**

Nodal Departments and Responsibilities:

### **10.1 Transport Department**

10.1.1 The Transport Department, GNCTD shall serve as the nodal department for implementation of the EV Policy 2026 and for issuing all clarifications, minor amendments and operational guidelines, if any from time to time.

**10.1.2** An EV Cell shall be constituted under the Special/Additional/Joint Commissioner (EV), Transport Department, GNCTD with a dedicated hired PMC to ensure clarification, implementation and operation of EV Policy 2026.

### **10.2 Delhi Transco Limited (DTL) through Power Department**

10.2.1 DTL through the Power Department, shall be responsible for the planning, deployment, and monitoring of all public electric vehicle charging and battery swapping stations in the National Capital Territory of Delhi. DTL shall ensure that public charging and swapping infrastructure remains operational and shall develop and notify service level benchmarks for performance, uptime, and reliability of such infrastructure.

10.2.2 DTL shall also assess present and future electricity load requirements arising from EV charging demand in the NCT of Delhi and shall ensure timely power procurement and seamless power supply through coordinated planning and implementation with the DISCOMs.

### **10.3 Environment Department**

10.3.1 The Environment Department shall assess and periodically quantify the emission reductions achieved through new electric vehicle registrations under the Delhi EV Policy 2026. The Department shall develop and apply a transparent methodology to evaluate impacts on air pollutant emissions and greenhouse gas emissions, enabling evidence-based assessment of the environmental outcomes and overall effectiveness of the Delhi EV Policy 2026.

10.3.2 The Environment Department shall ensure strict adherence by Original Equipment Manufacturers (OEMs) and other obligated entities to all applicable provisions of the [BATTERY WASTE MANAGEMENT RULES, 2022](#), as amended from time to time, including requirements related to Extended Producer Responsibility (EPR), reporting, and environmentally sound management of waste batteries.

### **10.4 Delhi Pollution Control Board (DPCC)**

**10.4.1** DPCC shall, through an appropriate policy framework, facilitate the deployment of battery collection centres across the National Capital Territory of Delhi under a Public-Private Partnership (PPP) model, in collaboration with authorised recyclers and other eligible entities, to enable convenient, accessible, and environmentally sound collection of waste batteries.

**10.4.2** DPCC shall notify Standard Operating Procedures (SOPs) for Original Equipment Manufacturers (OEMs) and other obligated entities to ensure the safe collection, storage, transportation, and transfer of waste batteries to authorised recyclers or Producer Responsibility Organisations (PROs), in compliance with applicable environmental regulations, Extended Producer Responsibility (EPR) requirements, and safety standards.

**10.5 Urban Local bodies (Municipal Corporation of Delhi (MCD), Delhi Development Authority (DDA), Delhi Cantonment Board, New Delhi Municipal Council (NDMC), PWD, DUSIB, Revenue Department and other land-owning agencies**

10.5.1 On a periodic basis, the urban local bodies and other land-owning agencies shall identify suitable land parcels for the deployment of public electric vehicle charging and battery swapping infrastructure and shall extend necessary support to Delhi Transco Limited (DTL) for planning, approvals, and implementation of such infrastructure.

**10.5.2** All new civil infrastructure projects of departments/autonomous bodies/corporations/boards and similar institutions under GNCTD including Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Council and Delhi Cantonment Board shall be required to be **EV-charging-ready**, with adequate electrical capacity to enable the installation of electric vehicle charging infrastructure.

**10.6 Education Department**

10.6.1 The Education Department, Government of NCT of Delhi, shall ensure compliance with the mandate across the entire school bus fleet, including buses owned, leased, or hired by schools. The Department shall issue necessary directions, integrate compliance requirements into school recognition and affiliation processes, and monitor adherence to the mandate in coordination with Transport Department.

10.6.2 The Education Department, Government of NCT of Delhi, shall design and implement regular awareness drives and educational campaigns in schools to sensitise students, teachers, and school management on issues related to air pollution, its health and environmental impacts, and the measures being undertaken by the Government to improve air quality in Delhi. The Department shall also promote student-led initiatives and practical actions to encourage sustainable travel choices, energy conservation, and responsible environmental behaviour to support improvements in Delhi's air quality.

**10.7 District Magistrates through Revenue Department – Land Aggregation**

10.7.1 The District Magistrates (DMs), through the Revenue Department, shall facilitate the identification, aggregation, and making available of suitable land parcels for priority public infrastructure requirements, including electric vehicle charging and swapping infrastructure and allied facilities.

**11. EV Fund**

**11.1** A dedicated EV Fund shall be maintained under the Transport Department.

**11.2** Sources of the Fund may include State Budgetary Allocations, Central and State Government Schemes and Grants, Air Ambience Fund, Environment Compensation Charge (ECC), PM E-DRIVE Scheme, cess, taxes, and any other approved sources.

**11.3** All operational and implementation expenses subject to clause 5.1 related to the EV Policy 2026 shall be met from the EV Fund.

11.4 Spending under EV Fund shall be as per the latest applicable delegation of financial powers rules.

**12. Delhi EV Apex Committee**

**12.1** A Delhi EV Apex Committee, under the Chairpersonship of the Hon'ble Minister (Transport), shall be constituted to oversee implementation of the policy, approval of the operational guidelines and management of the EV Fund.

**12.2** The composition of the Committee along with ToR shall be notified separately with approval of the Hon'ble Chief Minister.

12.3 If a cleaner fuel or technology will be available for vehicles in Delhi during the operation of the policy period, an appropriate recommendation or suggestion regarding the same shall be made by Delhi EV Apex Committee to Council of Ministers for decision.

**13. Policy Validity**

**13.1** This policy shall remain in force from the date of notification till 31 March 2030, unless extended or modified by the Government of NCT of Delhi.

By Order and in the Name of Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi

NIHARIKA RAI, Secretary-cum-Commissioner